प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव और माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा,

न्यायमूर्तिगण

रिट याचिका क्रमांक 1958/2004

याचिकाकर्ता - डॉ. प्रमोद कुमार पहारिया, पिता डॉ. के. एन. गुप्ता, आयु लगभग 26 वर्ष, व्यवसाय—छात्र, निवासी—489, न्यू मोहन नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)।

2. पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर, द्वारा डीन, रायपुर (छ.ग.)।

3. श्री अतिन कुंडू, आयु लगभग 27 वर्ष, प्रथम वर्ष एम.एस. (अस्थि रोग/ऑर्थोपेडिक्स) के छात्र, पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आदिल मिन्हाज, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री उत्कर्ष वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से।

श्री वी. जी. तमस्कार, अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से।

.....

मौखिक आदेश

(दिनांक 11 जनवरी, 2007)

निम्नलिखित आदेश न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा पारित किया गया :

(1) *वर्ष 2004 में उत्तरवादी क्रमांक 3 ने प्री-पीजी प्रवेश परीक्षा 2004 (अखिल भारतीय) में भाग लिया और उसमें सफल हुआ। उसे एम.एस. (नेत्र विज्ञान/ऑप्थैल्मोलॉजी) डिग्री पाठ्यक्रम आवंटित किया गया। उसने उसमें प्रवेश लेकर कुछ महीनों तक अध्ययन किया। तत्पश्चात राज्य स्तरीय प्री-पीजी परीक्षा 2004 का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें भी उत्तरवादी क्रमांक 3 सफल रहा। इसके पश्चात उसने अखिल भारतीय प्री-पीजी परीक्षा के आधार पर प्राप्त सीट से त्यागपत्र दे दिया और छत्तीसगढ़ प्री-पीजी परीक्षा के आधार पर आयोजित काउंसलिंग में भाग लिया। काउंसलिंग के परिणामस्वरूप उसे पीजी (ऑर्थोपेडिक्स) डिग्री पाठ्यक्रम आवंटित हुआ। तत्पश्चात उसने उसमें प्रवेश लेकर अध्ययन किया और वर्तमान तक वह अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुका है।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) याचिकाकर्ता ने भी प्री-पीजी परीक्षा 2004 में भाग लिया और उसमें सफल हुआ, किन्तु काउंसलिंग के दौरान उसे पीजी (ऑर्थोपेडिक्स) डिग्री पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि उक्त सीट उत्तरवादी क्रमांक 3 को आवंटित कर दी गई थी। हालांकि, उसे पीजी (ऑर्थोपेडिक्स) डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किया गया, जिसमें उसने प्रवेश लेकर अध्ययन जारी रखा है।

(3) याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 के प्रवेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसने छल करते हुए तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2004 (संक्षेप में "नियम, 2004") के नियम 11.4.1 का उल्लंघन कर पीजी डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया। इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने यह अभिवेदन किया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 का प्रवेश नियमों के अनुरूप है। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने भी याचिका

का विरोध करते हुए यह आपत्ति उठाई कि याचिकाकर्ता को यह याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है तथा याचिका आवश्यक पक्षकारों को शामिल न करने के दोष से ग्रस्त है।

(4) नियम, 2004 के नियम 11.4.1 का अवलंब लेते हुए याचिकाकर्ता का तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 को अपना विषय बदलने की अनुमति नहीं थी, अतः उसे पीजी (ऑर्थोपेडिक्स) डिग्री पाठ्यक्रम का आवंटन अवैध एवं अनुचित है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 3 ने एक मिथ्या शपथपत्र (अनुलग्नक आर.-1/2) प्रस्तुत किया और उसी के आधार पर उसने काउंसलिंग में सफलता प्राप्त कर अपनी पसंद की सीट प्राप्त की। इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 के प्रवेश को विधिसम्मत बताया। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने न केवल अपने प्रवेश को वैध बताया, बल्कि यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को उसके प्रवेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है तथा याचिका आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से भी ग्रस्त है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) *तर्क के दौरान, हमारे विशेष आग्रह के बावजूद, याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में असफल रहा कि ऐसे अभ्यर्थी के पुनः प्रवेश पर कोई प्रतिबंध है, जिसने अखिल भारतीय प्री-पीजी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्राप्त अपनी पूर्व सीट से त्यागपत्र देकर राज्य प्री-पीजी परीक्षा में सफलता प्राप्त की हो। यहाँ तक कि नियम, 2004 का समग्र अवलोकन करने पर भी हमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं मिला। जहाँ तक नियम 11.4.1 का संबंध है, वह निम्नानुसार है—*

> **"11.4.1** किसी अभ्यर्थी को एक बार प्रवेश दिए जाने के पश्चात उसे किसी भी आधार पर विषय/पाठ्यक्रम परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। विषय परिवर्तन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह उपक्रम भी देना होगा कि वह उसे आवंटित विषय/पाठ्यक्रम में परिवर्तन हेतु कोई आवेदन, प्रतिवेदन या याचिका प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी।"

(6) उपर्युक्त नियम केवल विषय परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाता है और साधारणतः इसके पठन से स्पष्ट है कि यदि किसी अभ्यर्थी को राज्य प्री-पीजी परीक्षा के आधार पर नियमों के अनुसार प्रवेश प्राप्त हुआ है, तो वह नियम 11.4.2 के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से अपना विषय परिवर्तित नहीं कर सकता। किन्तु वर्तमान प्रकरण की स्थिति भिन्न है। उत्तरवादी क्रमांक 3 को प्रारंभ में अखिल भारतीय प्री-पीजी परीक्षा के आधार पर प्रवेश मिला था, और जब वह राज्य प्री-पीजी परीक्षा में सफल हुआ, तो उसने अपनी पूर्व सीट से त्यागपत्र दे दिया, जिसे संबंधित प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात, जब वह किसी अन्य पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं था, तब उसने राज्य स्तरीय काउंसलिंग में भाग लिया और उसे पीजी (ऑर्थोपेडिक्स) डिग्री पाठ्यक्रम में सीट आवंटित की गई। न तो किसी नियम में ऐसा कोई प्रतिबंध है और न ही उसका प्रवेश किसी भी प्रकार से नियमों/विधानों के विरुद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) *जहाँ तक शपथपत्र, अर्थात् अनुलग्नक आर.-1/2 का संबंध है, यह शपथपत्र दिनांक 09.07.2004 को प्रस्तुत किया गया था और यह निर्विवाद है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने अपनी पूर्व सीट से दिनांक 08.07.2004 को त्यागपत्र दे दिया था। अतः दिनांक 09.07.2004 को उत्तरवादी क्रमांक 3 किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं था। यह शपथपत्र इस उद्देश्य से लिया गया था कि जो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ प्री-पीजी परीक्षा के आधार पर किसी पाठ्यक्रम में पहले से अध्ययनरत हो, वह छल करके किसी अन्य सीट पर अधिकार न कर ले। शपथपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता इस बात की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने हेतु थी कि काउंसलिंग की तिथि पर अभ्यर्थी किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं है। अतः शपथपत्र में जो कुछ भी उल्लेखित किया गया है, वह उक्त जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से था।*

(8) अनुलग्नक आर.-1/2, जो कि उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा शपथित शपथपत्र है, निम्नानुसार है :–

"// शपथ पत्र //

मैं डॉ. अतिन कुमार कुंडू आत्मज / आत्मजा निखिल कुमार कुंडू आयु 27 निवासी MIG-185, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.) शपथपूर्वक घोषित करता / करती हूं कि

1. यह कि मैं उपरोक्त नाम पते का निवासी हूं।

2 यह कि मैं देश एवं प्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा में प्रवेश नहीं लिया/नहीं ली हूं।

3. यह कि मैं यह शपथ पत्र छत्तीसगढ़ प्रीपीजी 2004 के काउंसलिंग में भाग लेने हेतु प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थान :- हस्ताक्षर

दिनांक :- नाम अतिन कुमार कुंडू

दिनांक 9/7/04

// सत्यापन //

मैं डॉ अतिन कुमार कुंडू आत्गज / आत्मजा निखिल कुमार कुंडू आयु 27 निवासी एमआईजी-185, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.) शपथपूर्वक घोषित करता / करती हूं कि उपरोक्त कंडिका कमीशन 1 से 3 तक में दिए गए तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

दिनांक :-

गवाह :-

1. हस्ताक्षर

नाम विनोद कुमार सिंह

पिता का नाम. श्री वी. सिंह

पता कटनी

2. हस्ताक्षर

नाम अतिन कुमार कुंडू

पता 9/7/04

2. हस्ताक्षर

नाम डॉ. बेअंत प्रीत कौर

पिता का नाम एस सिंह

पता जूनी विहार, बिलासपुर

सही/- (अस्पष्ट)

आर.के.जांगडे

नोटरी, अधिवक्ता

रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 9 जुलाई 2004

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) शपथपत्र के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह केवल इस तथ्य की पुष्टि के लिए शपथित किया गया था कि दिनांक 09.07.2004 को उत्तरवादी क्रमांक 3 किसी भी पी.जी. (डिग्री अथवा डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत नहीं था तथा किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकित नहीं था। निर्विवाद रूप से, उक्त तिथि को उत्तरवादी क्रमांक 3 किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित नहीं था, अतः न तो उसने कोई मिथ्या शपथपत्र प्रस्तुत किया और न ही कोई छल किया। राज्य, जो पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश देने वाला प्राधिकरण है, ने भी अपने प्रतिवेदन में निष्पक्षतापूर्वक यह स्वीकार किया है कि नियम, 2004 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

(10) यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि यदि किसी अभ्यर्थी को अखिल भारतीय प्री-पीजी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है तथा उसी सत्र में उसे छत्तीसगढ़ प्री-पीजी परीक्षा में भी सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, और दोनों परीक्षाओं में उसकी सहभागिता विधिसम्मत है, तो उसे उसके परिणामों का

लाभ, अर्थात् नियमों के अनुसार अपनी पसंद का विषय चुनने का अधिकार, कैसे वंचित किया जा सकता है।

(11) यद्यपि यह विचार किए बिना कि याचिका आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन या याचिकाकर्ता के अभिकर्ता होने के अधिकार के प्रश्न से ग्रस्त है या नहीं, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 3 का प्रवेश न तो अवैध है और न ही किसी नियम के विरुद्ध है। अतः याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/- **सही/-**

(वी. के. श्रीवास्तव) **(धीरेंद्र मिश्रा)**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**